>

Title: Need to amend rules regarding issuance of licenses to Ayurvedic pharmacists for ensuring availability of ayurvedic medicines in open market.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्ष जी, भारत के गांवों के 80 प्रतिशत लोग आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लेते हैं। भारत में 4205 करोड़ के लगभग इसका बाजार है, जबकि 2020 तक यह सात हजार करोड़ से भी अधिक बढ़ जायेगा। आयुर्वेदिक उत्पादों की गुणवत्ता और इसकी उचित वितरण व्यवस्था की आज भी पूरे देश में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, जबकि परचून की दुकानों पर भी आयुर्वेदिक दवाइयां मिलती हैं।

मेरा अनुरोध है कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अध्याय 4ए के खंड 16 के अधीन जो स्थिति है, उसमें रूल 64 के खंड-1 में औषधि एलोपैथ दवाइयों को बेचने के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो सुनिश्चित है, वही व्यवस्था आयुर्वेद और आयुष को भी सुनिश्चित करनी चाहिए और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक चिकित्सा के बढ़ते आकर्षण ने मार्केट को बढ़ाया है, इसलिए आज इन जड़ी-बूटियों का नितान्त अभाव हो रहा है। इसलिए जड़ी-बूटियों का कृषिकरण करके इसके उत्पादन पर भी जोर दिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री शिव कुमार उदासि, डा.किरीट सोलंकी तथा अजय टम्टा को श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।